(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू कैम्प चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

दिनांक :– 21.09.2022

प्रार्थना संख्या 64 /2022

अनुवानी

महावीर बनाम शाजीदा आदि

–:आदेश:–

तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, मय नजरी नक्शा एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार रोही ग्रम गाजसर तहसील व जिला चूरू के खसरा नम्बर 1157/823, 1158/825 व 822/597 का राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में सहवन से तरमीम गलत अंकित कर दी गयी। सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को सही होना स्वीकार किया है तथा साथ ही तहसीलदार चूरू ने अपनी स्पष्ट अभिशंसा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, सह खातेदारों की सहमति शपथ पत्र व रिपोर्ट पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक तथा अभिशसां तहसीलदार चूरू के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शें में तरमीम शुद्धी किये जाने हेतु तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है। उक्त प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो रोही ग्रम गाजसर तहसील व जिला चूरू के राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें ।

यदि पक्षकारान द्वारा उक्त नक्शा दुरस्ती में कोई तथ्य छुपाया गया है तो उसके लिये पक्षकारान स्वंय जिम्मेवार होगें।

यह आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया ।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:53 IST
Reason: SelfAttested